

भारत सरकार,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या - प्राविधिक शिक्षा/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय रूप:-

राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नए दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभागीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित गई संस्थाओं को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्जी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विद्ये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1513-MAHALWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL- JAKHRIYA, STATION ROAD, ATRAULI, ALIGARH

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	50	50
2	CIVIL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING	120	120
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, रेगुलेशन विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय कुल्लि पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

संस्था को समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

विद्यार्थीमा इन फार्मिती पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नहीं दिन्वी से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरप्रदेशीय संस्था का होगा और विधिक क्षेत्र में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात दापर किया जाता है तथा दापर बात के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

किन्तुमा इन फार्मिती पाठ्यक्रम संघमित करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश स्वतंत्र द्वाारा प्रायोग वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कायदेलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जावेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समुक्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त बातविरण उपलब्ध कराने के साथ पैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्र. वि. संघमित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने जाने अभिलेख, भूमि-सज्जा, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासा की जावेगी।

संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ए०पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जावेगी।

सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पू०सं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिरिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MAHALWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL- JAKHRIYA, STATION ROAD, ATRAULI, ALIGARH

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

-कार्यालय ड्राफ्ट-

अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संविद 1992 संख्या-20 हेतु विभिन्न संस्था तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2090 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अंतरा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2090 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यसभ्य में बैठक कायम हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित हुई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/योग्य क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सत्र-2 में डिप्लोमा एवं कृषि पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मान्य विस्तार-निर्धार कर निम्नांकित निर्णय लिया गया -

- संलग्नक-1 में अधिल तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-निर्णय किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अधिल विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2090 लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2090 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों का अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिल जोड़ा क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	संस्था संकेत	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सुझाई/सिफ्ट/डिप्लोमा/ डिप्लोमा/इंजीनियरिंग द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1112	सालवार इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काम अकादमी, 80/80 टॉप, आर्यवर्ती, आर्यवर्ती	डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (मेकैनिक्स) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	120 120 60 60 60	120 120 60 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडवाइटरशिप/डीप्लोमा द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमों/शर्तों तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इलेक्ट्रिकल पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में प्रश्न-उत्तर पर खास तौर पर ध्यान देना होगा जहाँ जहाँ पाठ्य शालानादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनता रहे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (2090 प्राविधिक शिक्षा समिति) तथा अन्य समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाये। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्य को ही मान्य किया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्ध शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एनआईटी/एनआईआई से आयाती रात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने वाले विधि/विषय/प्रतिनिधियों/समस्याओं/निदेशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा उपाध्यक्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उपाध्यक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद उपाध्यक्ष द्वारा बनाने वाले विषयों, विधियों आदरणीय, निर्देशों का पालन करने को विवेकपूर्वक करनी होगी।
- ✓ विधियों में इन फार्मों की प्रावधानों को लागू करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिष्ठिति, स्वरूप, राज-सम्पत्त, उपकरण, प्राप्ति किये जाने वाले शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षाओं/उपकरण उपलब्ध कराने के साथ वैश्व स्तर के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संरक्षित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु विदेश-समिति के समक्ष उपलब्ध कराने पर अतिरिक्त नृमि-मूल्य फार्मों/उपकरण इत्यादि का भेदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभालने में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

1
 (राजीव कुमार सिंह)
 सचिव

पुंरां- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2262

तद्-दिनांक: 15-6-2019

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साम अखरीया, टोल्ड रोड, लखनऊ

अलीगढ़।

AL
 (राजीव कुमार सिंह)
 सचिव